

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, लखीमपुर खीरी।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्रांक सं०- 1928/S.F.C.M. Cell/Lucknow, Dated 28-02-2026 के अनुपालन में शासनादेश सं०-102/Saat-Nyay-2-2015-728/86 dated 18.06.2015, के अनुसार परिवार न्यायालय लखीमपुर खीरी में परामर्शदाता के एक रिक्त पद पर परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने हेतु आवेदनपत्र उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किये जाने हेतु, आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी अर्हता/भर्ती प्रक्रिया संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निम्नवत् है:-

1. नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत रुपये मु० 1000/- रुपये प्रति कार्यदिवस अथवा मु० 24000/- रुपये प्रतिमाह, जो कम हो, का मानदेय देय होगा।
2. अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
3. यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से संबंधित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति करने में कोई बाधा नहीं है।
4. शैक्षिक अर्हता हेतु ध्यान रखा जाएगा कि अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
5. विज्ञापन के समय अभ्यर्थी/परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
6. आवेदन प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।
7. राज्य सरकार से परामर्शदाता की सूची प्राप्त होने पर मा० उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से संबंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार विमर्श करने के उपरांत उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
8. परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
9. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष का होगा। मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
10. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर संबद्ध रहेंगे।

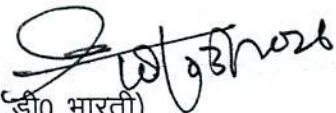
सुविधा एवं एकरूपता हेतु आवेदन पत्र का नमूना प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न किया जा रहा है। आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी की आधिकारिक वेबसाइट <https://kheri.dcourts.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित

छायाप्रति सहित दिनांक 04.04.2025 तक कार्यालय प्रधान न्यायाधीश लखीमपुर खीरी में पंजीकृत डाक किये जा सकते हैं अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्राप्त कराये जा सकते हैं। आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के लिफाफे पर विषय के रूप में "परामर्शदाता पद हेतु आवेदन" को अंकित कर प्रेषित करेंगे।

इस विज्ञप्ति का जिला सूचना अधिकारी, लखीमपुर खीरी के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाए। माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाए। विज्ञप्ति की एक प्रति जिला अधिवक्ता संघ को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित की जाए।

सर्व संबंधित को सूचित किया जाये।


(बी० डी० भारती)

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
लखीमपुर-खीरी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी को इस आशय के साथ प्रेषित की वे उक्त विज्ञप्ति की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी लखीमपुर खीरी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, लखीमपुर खीरी को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग लखीमपुर खीरी को इस आशय के साथ प्रेषित हो कि वे विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय खीरी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,
Hem' 18/3/26
प्रशासनिक अधिकारी
परिवार न्यायालय अवस्थापन
लखीमपुर- खीरी

परिवार न्यायालय लखीमपुर खीरी में परामर्शदाता पद पर नियुक्ति के संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम आवेदक (हिन्दी में).....

आवेदक की नवीनतम
रंगीन पासपोर्ट साइज
स्व. प्रमाणित फोटो

2. नाम आवेदक (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....

3. पिता/पति का नाम.....

4. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार).....

5. आवेदक का पूरा स्थाई पूरा पता (पिन कोड सहित).....

6. आवेदक का पूरा वर्तमान पूरा पता (पिन कोड सहित).....

7. मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड नम्बर.....

8. टेलीफोन/मोबाइल नम्बर..... ई-मेल.....

9. आवेदक की शैक्षिक योग्यता

क्र०सं०	शैक्षिक योग्यता	चयनित विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/कुल अंक	प्रतिशत
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					

(संगत अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। स्नातक एवं उससे उच्चतर स्तर पर चयनित विषय का उल्लेख करना अनिवार्य है।)

समाज सेवा का अनुभव (यदि कोई हो).....
(संगत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।)

पारिवारिक काउंसलिंग का अनुभव (यदि कोई हो)
(संगत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।)

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
पूरा नाम
पता
दिनांक
स्थान